न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 49/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 9.5.2018
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 भैरूलाल आत्मज स्व0 गोरधन जाति कलाल निवासी ग्राम गेंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
2 राम भरोसी पुत्री स्व0 गोरधन पत्नि देवी शंकर जाति कलाल निवासी मांगरोल तह0 मांगरोल जिला बांरा।
3 कान्ती पुत्री स्व0 गोरधन पत्नी हरिशंकर निवासी विज्ञान नगर कोटा राज0।

...अपीलाट्स

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा।
2 राजेन्द्रसिंह पुत्र अनार सिंह मृतक जरिये कायम मुकामान–
2/1 मुन्नीबाई बेवा राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी गैंता तह0 पीपल्दा।
2/2 गजराज सिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत नि0 गैंता तहसील पीपल्दा।
2/3 सरिता उर्फ संन्तोष पुत्री राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत नि0 गैंता तहसील पीपल्दा।
2/4 राधा पुत्री राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गैंता तहसील पीपल्दा।
3 पन्नालाल उर्फ धन्नालाल आत्मज बैज्या जाति धाकड निवासी गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
4 चौथमल मृतक आ0 बैज्या जाति धाकड निवासी गैंता तहसील पीपल्दा कायम मुकामान–
4/1 बालमुकन्द पुत्र स्व0 चौथमल जाति धाकड
4/2 कृष्ण मुरारी पुत्र स्व0 चौथमल जाति धाकड
4/3 चन्दाबाई पुत्री स्व0 चौथमल जाति धाकड
4/4 रूकमणी बाई पुत्री स्व0 चौथमल जाति धाकड
4/5 कृष्णा बाई पुत्र स्व0 चौथमल जाति धाकड
4/6 लक्ष्मीबाई पुत्री स्व0 चौथमल जाति धाकड
4/7 रजनीबाई पुत्री स्व0 चौथमल जाति धाकड
4/8 शांतिबाई पत्नी स्व0 चौथमल जाति धाकड
निवासीगण गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

.....रेस्पो0

उपस्थितः श्री चन्द्रमोहन शर्मा अभिभाषक अपीलांट्स

निर्णय

दिनांक 9.5.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 55/07 प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान चौथमल बनाम राज0 सरकार जरिये तह0 पीपल्दा आदि मे पारित निर्णय दिनांक 22.12.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

अति० स० आयु०
कोटा

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अधीनस्थ न्यायालय ने चौथमल पुत्र बेज्या धाकड नि0 गैंता द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 22.12.2016 से स्वीकार कर ग्राम बम्बूलिया कलां के ख0 नं0 581 रकबा 0.19 है0 भूमि मे से रकबा 0.12 है0 प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम–4 के शामलाती खाते मे तथा ख0 नं0 581 रकबा 0.19 है0 मे से 0.07 है0 सिंगल प्रार्थी के मौका अनुसार खाते मे तथा ख0 नं0 582 रकबा 3.49 है0 मे से 0.28 है0 आराजी प्रार्थी के मौका अनुसार सिंगल खाते मे दर्ज करने एव ख0 नं0 579 रकबा 0.75है0 मे से 0.42 है0 प्रार्थी के मौका अनुसार सिंगल खाते मे दर्ज की जाने तथा उक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी के खाते से कम की जाकर प्रार्थी के खाते मे त्रुटि सुधार की जाकर दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे अपील इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय मे चौथमल द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का गलत तथ्यो पर पेश किया था जबकि अपीलांट की भूमि ख0 नं0 579 जिसके पुराने ख0 नं0 297/392 की 2 बीघा थ जिसके केचमेन्ट के बाद नया नम्बर 560 कायम किये गये जिसके वर्तमान ख0 नं0 579 है। उक्त भूमि अपीलांट ने एडीएम कोलोनाईजेशन से दिनांक 4.9.1967 मे खरीद की थी जिसका पट्टा भी अपीलांट के पक्ष मे जारी कर दिया था तथा तब से ही उक्त भूमि पर अपीलांट काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि मे अपीलांट की 0.32 है0 भूमि बनती है जबकि रेस्पो0 चौथमल को 0.42 है0 भूमि देने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है उक्त भूमि अपीलांट की गैर खातेदारी की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक चौथमल के पक्ष मे निर्णय पारित किया है जबकि चौथमल निर्णय के पूर्व ही मर चुका था ऐसी स्थिति मे पारित जेरअपील निर्णय प्रभावशून्य है तथा अपीलांट की बिना सुनवाई किये निर्णय पारित किये जाने से नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। एक तरफा पारित जेरअपील निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 6.4.18 को होने पर जेरअपील निर्णय की नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई अतः सर्वप्रथम जानकारी एवं निर्णय की प्रति मिलने से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की जा रही है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। रेस्पो0 उपस्थित नही होने पर उनकी तामील पूर्ण मानी गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि चौथमल द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। ख0 नं0 579 जिसके पुराने ख0 नं0 297/392 की 2 बीघा थी जिसके केचमेट के बाद नया ख0 नं0 560 कायम किया गया था जिसके वर्तमान नं0 579 है उक्त भूमि कोलोनाईजेशन से दिनांक 4.9.67 को खरीदी थी जिसका पट्टा अपीलांट के पक्ष मे जारी कर दिया था जबसे ही अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि मे 0.42 है0 भूमि चौथमल के सिंगल खाते मे दर्ज करने का आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। बहस मे बताया कि जेरअपील निर्णय पारित करने से पूर्व ही चौथमल मर चुका था ऐसी स्थिति मे जेरअपील निर्णय प्रभावशून्य है। जेरअपील निर्णय अपीलांट को बिना सुनवाई के पारित किया है जो नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 प्रकरण मे रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया किन्तु उपस्थित नही होने पर उनकी तामील पूर्ण मानी गई।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया। अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा द्वारा

वृति० स० आयु०
कोटा

पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 22.12.2016 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा मे दिनांक 1.5.2018 को पेश की है जो मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि जेरअपील निर्णय अपीलांट की अनुपस्थिति मे एक तरफा पारित किया है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी हल्का पटवारी के पास जाने पर उसके द्वारा दिनांक 6.4.2018 को बताने पर होने पर निर्णय की नकल दिनांक 9.4.2018 को प्राप्त होने पर संर्वप्रथम जानकारी एवं निर्णय प्रति मिलने से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की है। चूंकि अपील प्रकरण मे रेस्पो0 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने पर उनकी तामील पूर्ण मानी गई है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो के खण्डन मे पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार अभिलेख पत्रावली मे उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने चौथमल पुत्र बेज्या धाकड निo गैंता द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 22.12.2016 से स्वीकार कर ग्राम बम्बूलिया कलां के खo नंo 581 रकबा 0.19 हैo भूमि मे से रकबा 0.12 हैo प्रार्थी व अप्रार्थी कम–4 के शामलाती खाते मे तथा खo नंo 581 रकबा 0.19 हैo मे से 0.07 हैo तथा खo नंo 582 रकबा 3.49 हैo मे से 0.28 हैo आराजी एव खo नंo 579 रकबा 0.75 हैo मे से 0.42 हैo प्रार्थी के मौका अनुसार सिंगल खाते मे दर्ज की जाने तथा उक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी के खाते से कम की जाकर प्रार्थी के खाते मे त्रुटि सुधार की जाकर दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि "खo नंo 579 जिसके पुराने खo नंo 297/392 की 2 बीघा थी जिसके केचमेट के बाद नया खo नंo 560 कायम किया गया था जिसके वर्तमान नंo 579 है उक्त भूमि कोलोनाईजेशन से दिनांक 4.9.67 को खरीदी थी जिसका पट्टा अपीलांट के पक्ष मे जारी कर दिया था जबसे ही अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि मे 0.42 हैo भूमि चौथमल के सिंगल खाते मे दर्ज करने का आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का यह भी तर्क रहा है कि जेरअपील निर्णय पारित करने से पूर्व ही चौथमल मर चुका था ऐसी स्थिति मे निर्णय 22.12.2016 प्रभावशून्य व अपीलांट को बिना सुनवाई के निर्णय पारित किये जाने से नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलांट के तर्क के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य निर्णय अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से विधिसम्मत नही ठहराया जा सकता। धारा 136 एलआरएक्ट मे निहित प्रावधान अनुसार भूमि अभिलेख अधिकारी द्वारा किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती को ही विहित रीति से शुद्ध किया जा सकता है जिसे कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किये जाने से उक्त तथ्यों का आलोच्य निर्णय मे अभाव रहा है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय को विधिसम्मत नही ठहराया जा सकता। अतः उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार जाकर उपखण्ड अधिकारी इटावा द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 22.12.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर धारा 136 एलआरएक्ट मे निहित प्रावधानों के परिपेक्ष्य मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 9.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अतिo संभागीय आयुक्त
कोटा